B- 34 4
L- 05
I. Polity.

प्रस्तावना एवं आधारभूत ढांचा

• उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती वाद में संविधान की परम्परागत व्याख्या के सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि संविधान केवल अनुच्छेद का संग्रह नही है अपितु यह सिद्धांत और विचार-धारा संग्रह है जिसका संशोधन संसद 2/3 बहुमत से भी नही कर सकती।

• यह संयोग का विषय है कि उच्चतम न्यायालय ने लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक शासन, संघीय शासन, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, विधि के समक्ष समानता, शक्ति पृथक्करण, व संसदीय शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है।

KGS IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का भाग है अपितु संविधान की व्याख्या में भी सहायता ली जायेगी।
उदाहरण के लिए - एस.आर.बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 की व्याख्या करते हुए प्रस्तावना में उल्लिखित पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का सहारा लिया ठीक इसी

Scanned by CamScanner

प्रकार पुट्टा स्वामी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर स्वतंत्रता का दमन संभव नही है क्योंकि प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है।

क्या प्रस्तावना का संशोधन संभव है :-

- अनुच्छेद 368 के सम्बन्ध में डॉ० अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई भी भारत के संविधान से संतुष्ट नहो तो उसे संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा लेकिन केशवानंद भारती वाद के बाद संसद 2/3 बहुमत से भी आधारभूत ढाचें को परिवर्तित नही कर सकती और प्रस्तावना में उल्लिखित अधिकांश सिद्धांत आधारभूत ढाचें के भाग हैं इसलिए इनका संशोधन नही हो सकता इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान के कुछ स्थायी प्रावधान हैं जिन्हें हटाया नही जा सकता जबकि कुछ प्रावधान अस्थायी हैं जिसे संसद परिवर्तित कर सकती है। और प्रस्तावना संविधान का स्थायी भाग है- - - -

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

लेकिन प्रस्तावना में किसी भी अन्य सिद्धांत को जोड़ा जा सकता है।

प्रस्तावना नैतिक या बाध्यकारी :-

- संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, निदेशकतत्व अवाद्ययोग्य हैं और गैर-आधिशासीपूर्ण हैं अवाद्ययोग्य का आशय यह है कि किसी भी विधि को न्यायालय में प्रस्तावना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नही दी जा सकती और न्यायालय प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए कोई आदेश नही दे सकता।

प्र०-1 भारत के संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना और अमेरिकी संविधान में वर्णित प्रस्तावना के बीच समानताऐं और अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्र०-2 प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की माँग क्योंकी जा रही है तार्किक परीक्षण कीजिए।

प्र० प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक बड़ी खाई है स्पष्ट कीजिए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकार का महत्व :-

- मूल अधिकार के द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया है इसलिए यह संविधान-तंत्र के निर्माण में सहायक है।
- यदि संविधान से मूल अधिकार का भाग हटा दिया जाए तो यह तानाशाही व्यवस्था में बदल जायेगा।
- मूल अधिकार संविधान में विद्यमान उदारवादी विचारधारा का प्रतीक है।
- मूल अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है और राज्य का मूल अधिकार नहीं होता है।

मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं?

- मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं (अनु० 12) जिसके अनुसार राज्य के द्वारा निर्मित कोई विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द की जा सकती है। हाल ही में राज्य के द्वारा

Scanned by CamScanner

इलेक्ट्रोरल बोन्ड के संबंध में मूल अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए (अनु०19) कहा गया कि नागरिकों को दलों द्वारा प्राप्त चंदे के विषय में जानने का अधिकार है।

(ii) यदि राज्य के द्वारा निर्मित नीति या किये गये कार्य मूल अधिकार के विरुद्ध हैं तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय में U.P. सरकार के द्वारा बुलडोजर के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

(iii) मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है (A-32)।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner